रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 23 अगस्त, 1985/1 भाद्रपद, 1907


### हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 23 अगस्त, 1985

क्रमांक एल०एल०आर०-डी (6) 19/85.—हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त (संशोधन) अध्यादेश, 1985 (1985 का अध्यादेश संख्यांक 1) जैसा राज्यपाल महोदय, हिमाचल प्रदेश, द्वारा [भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1)] के अन्तर्गत दिनांक 23 अगस्त, 1985 को प्रख्यापित किया गया को उक्त संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अन्तर्गत अपेक्षित इसके प्राधिकृत अंग्रेजी पाठ सहित एतद्द्वारा सर्व-साधारण की जानकारी के लिए राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

कुलदीप चन्द सूद,
सचिव (विधि)।

1985 का अध्यादेश संख्यांक 1.

# हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त (संशोधन) अध्यादेश, 1985

भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित ।

हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त अधिनियम, 1983 (1983 का अधिनियम संख्यांक 17) का संशोधन करने के लिए अध्यादेश ।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं है और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उनके लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;

और इस अध्यादेश को प्रख्यापित करने के लिए भारत के राष्ट्रपति के अनुदेश प्राप्त कर लिए गय हैं;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भारत के संविधान से अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त (संशोधन) अध्यादेश, 1985 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत होगा ।

धारा 15-क का अन्तः स्थापन ।

2. हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त अधिनियम, 1983 की विद्यमान धारा 15 के पश्चात् निम्नलिखित नवीन धारा 15-क, इसके शीर्षक सहित अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"15-क. **लोक आयुक्त को अतिरिक्त कृत्यों का प्रदान किया जाना.**—(1) राज्यपाल, लोक आयुक्त से परामर्श करने के पश्चात् और राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, लोक आयुक्त को भ्रष्टाचार के उन्मूलन के संबंध में ऐसे अतिरिक्त कृत्य प्रदान कर सकेगा जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जायें ।

(2) राज्यपाल, लिखित आदेश द्वारा और लोक आयुक्त से परामर्श करने के पश्चात्, लोक आयुक्त को भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए राज्य सरकार द्वारा स्थापित, गठित या नियुक्त अभिकरणों, प्राधिकारियों या अधिकारियों के ऊपर पर्यवेक्षणीय स्वरूप की शक्तियां प्रदान कर सकेंगे ।

(3) जब लोक आयुक्त को उप-धारा (1) के अधीन कोई अतिरिक्त कृत्य प्रदान किए जाय तो लोक आयुक्त उन्हीं शक्तियों का प्रयोग और उन्हीं कृत्यों का निर्वहन करेगा जिनका प्रयोग वह किसी अभिकथन से अन्तर्वलित परिवाद पर किये जाने वाले किसी अन्वेषण में करेगा, और इस अधिनियम के उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।"

शिमला :
23 अगस्त, 1985

होकिशे सेमा,
राज्यपाल,
हिमाचल प्रदेश ।

---

कुलदीप चन्द सूद,
सचिव (विधि) ।

---

[*Authoritative English text of the Himachal Pradesh Lokayukta (Sanshodhan) Adhyadesh, 1985 (1985 ka Adhyadesh Sankhyank 1) as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India*].

**Ordinance No. 1 of 1985.**

**THE HIMACHAL PRADESH LOKAYUKTA (AMENDMENT) ORDINANCE, 1985**

Promulgated by the Governor, Himachal Pradesh in the Thirty-sixth Year of the Republic of India.

An Ordinance to amend the Himachal Pradesh Lokayukta Act, 1983 (Act No. 17 of 1983).

Whereas the Legislature of the State of Himachal Pradesh is not in session and the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

And whereas instructions of the President of India to promulgate the Ordinance have been obtained;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased is promulgate the following ordinance:—

1. (1) This ordinance may be called the Himachal Pradesh Lokayukta (Amendment) Ordinance, 1985. Short title and commencement.

(2) It shall come into force at once.

2. After the existing section 15 of the Himachal Pradesh Lokayukta Act, 1983 the following new section 15-A, along with its heading, shall be inserted, namely:— Insertion of section 15-A.

"**15-A. Conferment of additional functions on Lokayukta.**—(1) The

Governor may, after consultation with the Lokayukta, and by notification published in the Official Gazette, confer on the Lokayukta such additional functions in relation to the eradication of corruption as may be specified in the notification.

(2) The Governor may, by order in writing and after consultation with the Lokayukta, confer on the Lokayukta such powers of supervisory nature over agencies, authorities or officers set up, constituted or appointed by the State Government for the eradication of corruption.

(3) When any additional functions are conferred on the Lokayukta under sub-section (1), the Lokayukta shall exercise the same powers and discharge the same functions as he would in the case of any investigation made on a complaint involving an allegation, and the provisions of this Act shall apply accordingly."

HOKISHE SEMA,
*Governor of Himachal Pradesh.*

SHIMLA:
The 23rd August, 1985.

---

KULDIP CHAND SOOD,
*Secretary (Law).*

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।